

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक / प्रबन्ध / एम /

/ 2022-23 दिनांक:- २३/११/२०२२

## (कार्यालय—आदेश)

कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 592-96 / 2019-20 दिनांक 20.04.2019 के द्वारा मेरठ पब्लिक स्कूल 233, वैस्ट एण्ड रोड, मेरठ को नर्सरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की शैक्षिक सत्र-2019-20 से शैक्षिक सत्र 2021-22 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 21.11.2022 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-418/79-6-2013-8 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रत्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचार्यिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को रथायी मान्यता प्राप्त हो गई है के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को रथायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संरक्षा के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 592-96 / 2019-20 दिनांक 20.04.2019 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप रथाई मान्यता समझा जाये।

(योगेन्द्र कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।

पृ०१० / प्रबन्ध / एम / ७८/६-१९

/ 2022-23 दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, मेरठ पब्लिक स्कूल 233, वैस्ट एण्ड रोड, मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्राक-प्रबन्ध/मान्यता/ ५७२-७६  
प्रबन्धक

/ 2019-20 दिनांक - 20/04/19

卷之三

मराठ पालिता संकूल

२३३. वैरट एण्ड रोड, ग्रेट ।

**विषय-** निःशुल्क और अनिवार्य दाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य दाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 16 के संपर्कमें  
 (4) के अधीन विधालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आधेतन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यार्थी प्रदाचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश। प्रैरठ प्रदिक्षक रखौल, 233, पैरट एण्ड रोड, मेरठ को शैक्षिक सत्र 2019-20 से शैक्षिक सत्र 2021-22 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये गर्हारी से कक्षा 08 तक के लिये ऑफिजली ग्राहक भी अनियमित ग्राहक प्रदान करने की संरक्षणा देता है।

उपरोक्त मजुरी निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अध्यधीन है-

- पान्ति की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कषा 8 ले पृथ्वीता/राबद्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
  - विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाय 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-नियम 2010 (उपाय 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
  - विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोर के कमजोर बर्ग और सुविधा-विहीन राष्ट्र के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
  - पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की घारा 12 की उप घारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक फूटक दैक खाता रखेगा।
  - सोराइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के आधारीन नहीं करेगा।
  - विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सदृश न होने के कारण प्रवेश देने से इच्छार नहीं करेगा और वह अधिनियम की घारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित रुपमें विवरण करेगा-

- I. प्रवैश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्णन की आवधीन नहीं किया जायेगा।
  - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई घोड़ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

v. अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार निःशक्तता ग्रन्त/विशेष आवश्यकताओं पाले विद्यार्थियों को प्रदेश दिया जायेगा।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंतायें नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंतायें अर्जित करेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

viii. अध्यापक रथयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्याचर्यों के आधार पर पाठ्यक्रम या पालन करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रगतियाएं निम्नानुसार हैं :-

➢ विद्यालय परिवार का क्षेत्रफल :-

➢ कुल निर्मित क्षेत्र :-

➢ कीड़ा-रथल का क्षेत्रफल :-

➢ कक्षाओंकी संख्या :- 10

➢ प्राच्यापक-सह-यार्ड-सह-भंडागारकेलिए कक्ष :- ५

➢ वालकऔरवालिकाओंकेलिए पृथक शौचालय :- ३

➢ पेयजलसुविधा :- ५

➢ गिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई :- ५

➢ आधारहितपाठ्य - ५

➢ अध्यापन पाठ्य सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता :- ५

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कर्त्तायें नहीं दृलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 - (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वोसाइटी द्वारा या सत्साधन प्रदूषित किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा घलाया जा रहा है।

12. रकून की किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या समूम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लागे के लिये नहीं घलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाइयों की किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिल्या वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या ३३७ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पन्नाचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगे जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बैरिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/राजनीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता रामबन्धी शर्तों के रात अनुपातन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
16. रासाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथ्य राखना में आता है तो प्रदत्त मान्यता निरत समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।
18. मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा आपको इस प्रतिवन्द के साथ मान्यता प्रदान की गयी है कि तीन बाह के अन्दर एन०वी०री० प्रगाण पत्र अधोहरताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा कि रिति में उक्त मान्यता रखते समझी जायेगी। जिसका राम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

शब्दीय

(सतेन्द्र कुमार)  
जिला बैरिक शिक्षा अधिकारी  
गेरठ

पृष्ठ/प्रकल्प/मान्यता/ ५९२ - १६ / 2019-20 दिनांक- ८ दैव)

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बैरिक) निशात गंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बैरिक) शिक्षा रामान्य अनुगाम-2, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3. राहायक शिक्षा निदेशक (बैरिक) प्रथम गण्डल, गेरठ।
4. राम्यन्धि खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद गेरठ।

जिला बैरिक शिक्षा अधिकारी  
गेरठ।